भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लाइसेंसिग प्रकोष्ठ (मूल्य योजित सेवा समूह)
संचार भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या 840-7/2001-वीएएस

दिनांक : 1 नवंबर, 2001

उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल निजी संचार (जीएमपीसीएस) सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश

नई दूरसंचार नीति, 99 में भारत में वैश्विक मोबाइल निजी संचार (जीएमपीसीएस) सेवा शुरू करने की परिकल्पना की गई है। जीएमपीसीएस सेवा का उपयोग करके उपभोक्ता हैंड हेल्ड टर्मिनल से पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान से बातचीत कर सकता है। उपभोक्ता चाहे कहीं भी जाए उसके टेलीफोन नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। मोबाइल उपग्रह नेटवर्क पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की निम्न कक्षा (एलईओ) में 10000 किमी तक या पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा (जीईओ) में 36,000 किमी तक प्रचालित हो सकता है। जीएमपीसीएस के लिए नियोजित कुछ उपग्रह हैं - ग्लोबल स्टार, अग्रणी, गरूड़, आईसीओ और थुराया आदि। ये प्रणालियां उपग्रह और पीएसटीएन के लिए संयोजकता प्रदान करने वाले गेटवे अर्थ स्टेशन के नेटवर्क की सहायता से वैश्विक पहुँच वाले वॉइस, डेटा, फैक्स, मैसेजिंग आदि जैसी अनेक दूरसंचार सेवाओं को ध्यान में रखकर तेयार की गई हैं। जीएमपीसीएस से रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अधिक मितव्ययी उपयोग द्वारा आसान, लचीली और सुविधाजनक संचार सुलभ होगा।

भारत में जीएमपीसीएस सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं। ये दिशा-निर्देश केवल सामान्य सूचना हेतु हैं और इनसे कोई वैधानिक बाध्यकारी प्रतिबद्धता सूचित नहीं होती।

1. भारत में जीएमपीसीएस सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस अननन्य आधार पर जारी किया जाएगा और सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रस्ताव की निकासी के अध्यधीन होगा।

2. लाइसेंस "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर जारी किया जाएगा। जीएमपीसीएस लाइसेंस हेतु प्रस्ताव एक निर्धारित आवेदन प्रपत्र (दूरसंचार विभाग के वीएएस प्रकोष्ठ और वेबसाइट www.dotindia.com पर उपलब्ध) में प्रस्तुत किया जाना है। आवेदन प्रपत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क के रूप में पाँच लाख रु0 (अप्रतिदेय) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा जो दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय) के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक से आहरित और नई दिल्ली में देय होगा। प्रक्रिया शुल्क के बिना भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आशय पत्र (एलओआई) सभी पात्र आवेदकों को अननन्य आधार पर जारी किया जाएगा यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव स्वीकार्य पाया गया तथा सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं हुई। एलओआई जारी किए जाने की तारीख से बारह माह की अवधि तक वैध रहेगा और लाइसेंस पर हस्ताक्षर एलओआई की वैधता समाप्त होने से पहले कभी भी किया जा सकता है।

591

एलओआई जारी किए जाने के बाद आवेदक कंपनी द्वारा लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले निम्नलिखित उपायों को करना अपेक्षित होगा :

(i) कंपनी द्वारा विदेशी इक्विटी भागीदारी जो 49% से अधिक न हो, की शर्तों के लिए एसआईए क्लियरेंस प्राप्त करना।

(ii) कंपनी अपने सभी प्रोमोटरों/भागीदारों को इक्विटी शेयर जारी करे तथा लाइसेंस पर हस्ताक्षर से पहले अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर ले ताकि कंपनी का नेटवर्थ न्यूनतम 100 करोड़ रु0 हो।

(iii) कंपनी द्वारा सेवा के प्रचालन हेतु विभिन्न अपेक्षित फ्रीक्वेंसियों के संबंध में डब्ल्यूपीसी से अनंतिम लाइसेंस प्राप्त किया जाए।

4. लाइसेंसधारी कंपनी के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने पर लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व एक करोड़ रु0 का प्रवेश शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

5. ऊपर उल्लिखित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी लाइसेंस करार दस्तावेज में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से प्राप्त राजस्व भागीदारी के रूप में "समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)" के 10% की दर से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भी भुगतान करेगा।

6. राजस्व भागीदारी के रूप में उपर्युक्त लाइसेंस शुल्क में लाइसेंस हेतु किराया राशि और (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ), (ii) प्रशासन और विनियमन हेतु अंशदान भी शामिल हैं।

7. कंपनी के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व लाइसेंस करार में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में भारत में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से सेवा आरंभ करने की प्रत्याशित तारीख के बाद कम से कम एक वर्ष तक के लिए वैध एक करोड़ रु0 की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। वित्तीय बैंक गारंटी का लाइसेंस प्रदाता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा।

8. कंपनी को लाइसेंस मंजूर किए जाने से पहले और भारत में सेवा हेतु सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरेंस प्राप्त होने से पूर्व अपनी सहयोगी कंपनी के साथ किए गए अनुबंधों/लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों और/या देश में जहाँ सहयोगी कंपनी पंजीकृत है और/या अपना व्यवसाय करती है वहाँ की सरकार/प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुबंधों/लाइसेंसों में निहत निबंधनों और शर्तों सहित स्पेस सेगमेंट/उपग्रह प्रणाली के स्वामी/प्रचालक के संबंध में पूर्ण ब्योरा देना होगा।

9. आवेदक के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होना अनिवार्य है।

10. जीएमपीसीएस के लिए लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा जिसे परस्पर सहमत निबंधन और शर्तों पर लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी के विवेक पर एक बार 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

11. लाइसेंस की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी निश्चित रूप से 49% से अधिक नहीं होगी। किसी अनिवासी भारतीय/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषक एजेंसियों द्वारा कंपनी की इक्विटी में निवेश उसकी विदेशी इक्विटी माना जाएगा। इस संबंध में कंपनी सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 49% से अधिक नहीं है।

12. एक नेटवर्क से संबधित गेटवे और सेवा के प्रचालन हेतु केवल एक लाइसेंस मंजूर किया जाएगा।

13. सभी लाइसेंस प्राप्त प्रणालियों के लिए नियंत्रण और निगरानी सुविधा सहित गेटवे भारत में होंगे।

14. जीएमपीसीएस प्रचालकों द्वारा विधि सम्मत अंतरावरोधन हेतु सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यथा निर्दिष्ट उपयुक्त निगरानी उपकरण और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

15. नेटवर्क संयोजकता, अभिगम या अन्य नेटवर्कों के साथ अंतर्संयोजन और उसके लिए प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक सहमति पर आधारित होगा जो समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के अंतर्गत ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अध्यधीन होगा।

16. लाइसेंसधारक सर्किट और/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपकरण का उपयोग कर सकता है जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)/दूरसंचार अभियांत्रिक केंद्र (टीईसी) के संगत मानकों के अनुरूप हो।

17. आईटीयू में पंजीकृत या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित प्रयोक्ता टर्मिनलों (यूटी) के लिए भारत में प्रयोग हेतु प्रशासनिक अनुमोदन टीईसी द्वारा इस संबंध में संतुष्ट होने के बाद प्रदान किया जाएगा कि टर्मिनल भारत सरकार की सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

18. प्रचालक मोबाइल से मोबाइल कॉलों और मोबाइल से पीएसटीएन कॉलों के लिए अपना प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, इस संबंध में समय-समय पर जारी ट्राई के निर्देश सभी के लिए बाध्यकारी होंगे।

19. जीएमपीसीएस प्रदाता किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थान पर प्रयोक्ता टर्मिनल के लिए मांग/अनुमोदन को बिना किसी भेदभाव के पंजीकृत करने के लिए बाध्य होगा।

20. जीएमपीसीएस गेटवे (गेटवेज) और मोबाइल टर्मिनलों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत संचार मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी विंग से अलग वैध लाइसेंस प्राप्त करने के अध्यधीन होगा।

-

इस लाइसेंस को प्रदान करने का निर्णय इस उद्देश्यार्थ निर्धारित दिशानिर्देशों के द्वारा परिचालित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें शामिल हैं :- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय का सफल समापन, फ्रीक्वेंसी उपलब्धता, फ्रीक्वेंसी आवंटन (एसएसीएफए) साइट क्लियरेंस पर स्थाई परामर्शदात्री समिति, अन्य मंत्रालयों से यथोचित स्वीकृति, समय-समय पर यथा निर्धारित स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगातन और रायल्टी। इस विषय पर आवश्यक ब्योरा भारत सरकार के बेतार सलाहकार के कार्यालय, डब्ल्यूपीसी स्कंध, संचार मंत्रालय, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है।

21. जीएमपीसीएस ऐवा केवल वास्तविक समय में वाइस या नॉन-वॉइस मैसेजों का पारेषण् लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर भेजती है। सेवा वाइस या नॉन-वाइस किसी भी प्रकार के मैसेज के प्रसारण को कवर नहीं करती है। उपभोक्ता को नेटवर्क पर पंजीकृत और अधिप्रमाणित होना चाहिए ता पंजीकरण का बिंदु तथा अनुमोदित नंबरिंग प्लान लागू होगा।

22. लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने में निहित संपूर्ण अवसंरचना के लिए स्वयं इंतजाम करेगा तथा संस्थापना, आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों का निरूपण, अपने उपभोक्ताओं के बिल जारी करना, राजस्व का संग्रहण, अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और क्षतियों पर ध्यान देने के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार होगा।

23. जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंसधारक समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए जा सकने वाले कुछ अन्य निदेशों के अध्यधीन, नेटवर्क-नेटवर्क इटरफेस के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाली पारस्परिक सहमति के तहत सेवा मानकों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु लाइसेंसशुदा नेटवर्क का प्रचालन और प्रबंधन करेगा।

24. सेवा संबधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत/आशोधित इंटरकनेक्टिंग नेटवर्को की लागत सहित नेटवर्क संशाधनों का भुगतान समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी से किन्हीं भी निदेशों के अध्यधीन इंटर कनेक्शन अन्वेषक द्वारा किया जाएगा।

25. कारोबार की पुनबिक्री/एक नेटवर्क स्वामी द्वारा अन्य नेटवर्क स्वामी को लाइसेंस की निर्धारिता/हस्तातंरणीयता की अनुमति, लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित सहमति के अध्यधीन होगी जो कि यदि लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारी और उधारदाता के बीच यथावत रूप से निष्पादित होती है तो निवल मूल्य, प्रदत्त इक्विटी से संबंधी शर्तों की सुनिश्चितता और त्रिपक्षीय करार में निर्धारित प्रक्रिया तथा अन्य निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

26. लाइसेंसधारी सामान्यतः अपने नेटवर्क में बल्क एनक्रिप्शन इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करेगा। तथापि, यदि लाइसेंसधारी के नेटवर्क में किसी एनक्रिप्शन उपस्कर का प्रयोग किया जाता है तथा वह उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उसका पूर्व मूल्यांकन होना चाहिए तथा सरकार से इसका लिखित रूप से अनुमोदन होना चाहिए।

27. लाइसेंसधारी गुप्तचर्या, विद्रोही गतिविधि, विध्वसांत्मक या कोई अन्य अवैध गतिविधि रोकने के लिए सरकार को संबद्ध समय में विशिष्ट स्थति पर निर्भर करते हुए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता द्वारा प्रधिकृत एजेंसियों की मांग पर तकनीकी जांच और निरीक्षण

के लिए, जोकि दृश्य निरीक्षण या प्रचालनात्मक निरीक्षण हो सकता है के लिए गेटवे अर्थ स्टेशन पर पूर्ण अभिगम, इटरसेप्ट कंट्रोल् सेंटर, रूटर्स आदि की सुविधा उपलब्ध करेगा।

28. लाइसेंसधारी के नेटवर्क के संस्थापन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लगाए जाने वाले सभी बाह्य व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरेंस लेनी होगी। सुरक्षा क्लियरेंस गृह मंत्रालय, भारत सरकार से लेनी होगी, जोकि इस मामले में मानक सख्त नियमों का अनुपालन करेगा। लाइसेंसधारी बातचीत की गोपनीयता की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि संदेशों अनाधिकृत इंटरसेप्शन न हो पाए।

29. लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह भारत सरकार द्वारा यथा घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध या कम तीव्रता संघर्ष या जनहित में कोई अन्य समान परिस्थितियों में इस लाइसेंस को सेवा क्षेत्र मे पूर्णतः अथवा अंशतः रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता है। इन परिस्थितियों के अध्यधीन सरकार की ओर जारी कोई विशिष्ट आदेश या निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होंगे तथा इनका अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सुरक्षा की विवक्षा यथा अपेक्षित हो, तो लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी क्षेत्र को सेवा के प्रचालन अंचल से बाहर रख सकता है।

30. लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, जन हित ओर टेलीग्राफों के सुचारू प्रचालन के हित में आवश्यक समझे जाने वाली नई शर्तों को लागू कर सकता है या मौजूदा शर्तों को आशोधित कर सकता है।

31. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना से कोई सुरक्षा संबधी खतरा नही होगा तथा सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं होगा।

32. लाइसेंसधारी देश के संस्थापित कानून के अनुरूप अपने नेटवर्क से छोड़ी जा रही आपत्तिजनक, अश्लील, अनाधिकृत या अन्य साम्रगी, संदेश या संचार जो किसी भी रूप में प्रकाशनाधिकार, बौद्धिक संपदा आदि का उल्लंघन करती है को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यदि अधिकृत एजेंसियों द्वारा लाइसेंसधारी को ऐसे उल्लंधन का कोई विशिष्ट उदाहरण बताया जाता है तो लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री के संचालन को तुरंत रोक दिया जाता है। लाइसेंसधारी अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से संचारित उपद्रवी, आपत्तिजनक या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या बातचीत का पता लगाने के लिए बिना किसी विलंब के ट्रेसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस बारे लाइसेंसधारी की ओर से हुई किसी गलती की वजह से किसी क्षति का भुगतान लाइसेंधारी द्वारा किया जाएगा।

33. यदि करार के उचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत की जाती है तो लाइसेंसधारी और उसके कर्मचारी और नौकर उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बाध्य होंगे।

34. किसी भी सेवा प्रदाता के साथ प्रत्येक इंटफेस के लिए इंटरकनेक्शन जाँच, लाइसेंसधारी और अन्य शामिल पार्टी के बीच पारस्परिक आयोजन द्वारा की जा सकता है। इंटरकनेक्शन जाँच

595

समय-सारणी पारस्परिक सहमति से बनाई जाएगी। इन जांचों के लिए लाइसेंसधारी द्वारा पर्याप्त समय, अर्थात कम से कम 30 दिनों से अधिक का समय दिया जाएगा। इंटरकनेक्शन जाँचों के सफल समापन के पश्चात लाइसेंसदाता से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत सेवा चालू की जाएगी।

35. लाइसेंसदाता और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधित्व को सेवा-विस्तार के लिए उपयोग की गई साइटों की जाँच करने का अधिकार है। लाइसेंसदाता को विशेष रूप से तथा असीमित रूप से निम्न तक अभिगम का अधिकारी होगा :- लीज्ड लाइनें, जंक्शन, टर्मिनेटिंग इटरफेस, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, सेमी कंडेक्टर की मैमोरी, चुंबकीय और प्रकाशीय विविधताएं, तारशुदा या बेतार विकल्प, वितरण ढाँचा, इनपुट/आउटपुट यंत्रों या टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ समन्वय बैठाने सहित निष्पादन जाँच करना। लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधित्वों द्वारा यथा अपेक्षित प्रणाली के सतत् अनुश्रवण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया करेगा। लाइसेंसदाता उन परिस्थितियों को छोड़कर जिसमें ऐसा नोटिस देने से जाँच का उद्देश्य विफल होता है; साधारणतयाः यथोचित नोटिस देने के पश्चात जाँच करेगा।

36. लाइसेंसधारी स्वतंत्र रूप से अपने उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं के नाम और पते के साथ निर्दिशिका सूचना सेवा सहित, सभी आपातकालीन और सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं प्रदान करेगा।

37. दूरसंचार विभाग को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए लाइसेंस प्रदान करने की अस्वीकृति दे सकता है।

38. आवेदन या लाइसेंस, यदि स्वीकृत है तो उनसे संबंधित सभी मामले टीडीएसएटी के क्षेत्राधिकार में आएंगे।

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसचांर विभाग
(वीएएस प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

गैर-अनन्य आधार पर उपग्रह सेवा के द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन।

(जीएमपीसीएस लाइसेंस)

(कृपया इस प्रपत्र को भरने से पूर्व अंत में दिए गए जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंस के दिशानिर्देशों और जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंस करार दस्तावेज को ध्यान पूर्वक पढ़े। आवेदन-पत्र के प्रत्येक और सभी बिंदुओं पर पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन या सशर्त विवरण वाले आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।)

1. आवेदक कंपनी का नाम ....
....
....

2. टेलीफोन/फैक्स नं0 सहित पूर्ण डाक-पता

(i) निगमित पता ....
....
....

(ii) पंजीकृत कार्यालय ....
....
....

3. पत्र-व्यवहार का पता ....
....

टेलीफोन/फैक्स नं0 सहित ....
....
....

4. प्राधिकृत संबंधित व्यक्ति का नाम ....
एवं पदनाम और टेलीफोन/फैक्स नं0 ....
....

5. कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम सहित कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा यथा प्रमाणित पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (कृपया **अनुबंध-I** संलग्न करें)

59?

6. कंपनी में प्रवर्तक/भागीदार :
(इक्विटीधारिता का ब्योरा)

क्र0सं0	**प्रवर्तक/भागीदार का नाम**	**भारतीय/विदेशी**	**इक्विटी(प्रतिशत)**
____	____________________	____________	____________
____	____________________	____________	____________
____	____________________	____________	____________

(एनआरआई इक्विटी सहित 49 प्रतिशत की सीमा तक यदि कुल विदेशी इक्विटी साझेदारी है तो दोनो प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्त की अनुमति है। इक्विटी की पूर्ण समाप्ति अवश्य दी जाए।)

7. भारतीय कंपनी और विदेशी साझीदार(रों) यदि कोई है के बीच करार की प्रमाणित प्रति। आवेदक द्वारा उस देश (या देशों) की सरकार द्वारा जहाँ लागू प्रणाली पंजीकृत है, की विनियामक और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी मूल लाइसेंस करार की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिएं। (कृपया **अनुबंध-II** संलग्न करें)

8. भारत में (i) कंपनी, (ii) भारत में उसके व्यैक्तिक साझेदार(रों) और प्रवर्तक(कों) और (iii) उसके किसी एक या एक से अधिक साझेदार(रों)/प्रवर्तक(कों) द्वारा प्रोन्नत किसी अन्य कंपनी द्वारा यदि कोई हो के द्वारा भारत में धारित दूरसंचार सेवा लाइसेंस(सों) की सूची। (लाइसेंस नं0/तिथि, कंपनी का नाम तथा सेवा का नाम दिया जाना चाहिए।) (कृपया **अनुबंध-III** के रूप में सूची संलग्न करें।)

9. (i) कंपनी, (ii) उनके व्यैक्तिक साझीदार और प्रवर्तक द्वारा अन्य देशो में धारित जीएमपीसीएस लाइसेंसों की सूची (कृपया **अनुबंध-IV** के रूप में सूची संलग्न करें।)

10. निदेशकों का मंडल का संकल्प/मुख्तारनामा/वह व्यक्ति जिसने आवेदन में हस्ताक्षर किए हैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। (कृपया **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न करें)

11. प्रस्तावित सेवा प्रदान करने के लिए एक पृथक पृष्ठ पर तकनीकी/वाणिज्यिक ब्योरा, व्यापार प्लान। (कृपया **अनुबंध-VI** के रूप में संलग्न करें।)

12. आवेदक कंपनी के साथ-साथ व्यैक्तिक प्रवर्तकों/साझेदारों की निवल मूल्य और कार्य पूंजी। (कृपया **अनुबंध-VII**) के रूप में ब्योरा संलग्न करें)
13. कंपनी तथा उसकी भारतीय प्रवर्तक कंपनियां आवेदन जमा होने की तिथि पर वैध आयकर प्राधिकरण हो "आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करेंगी। (कृपया अनुबंध-VIII के रूप में ब्योरा संलग्न करें)

14. परियोजना की अनुमानित परियोजित लागत (कृपया ब्रेकअप दें तथा **अनुबंध-IX** के रूप में संलग्न करें)

15. देश में सेवा चालू होने की संभावित तिथि ....

16. अन्य कोई संबंधित सूचना जो आवश्यक समझी जाए। (कृपया **अनुबंध-X** के रूप में संलग्न करें।)

17. प्रक्रमण शुल्क के भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट :
(i) सं0 और तिथि ....
(ii) राशि **रु0 5 लाख**
(iii) जिससे आहरित किया उस बैंक का नाम ....
(दिल्ली में देय)
(अलग कवर में संलग्न करके आवेदन के साथ नत्थी किया जाए)

प्रमाण पत्र :-

1. हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने प्रपत्र के अंत में दिए गए अनुदेश, जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश और जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंस करार को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। यहां दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

2. मैं समझता हूँ कि यदि यह आवेदन किसी भी रूप से अपूर्ण पाया जाता है और/या इसमें सशर्त अनुपालन पाया जाता है अथवा प्रक्रमण शुल्क इसके साथ नहीं लगाया जाता है तो यह आवेदन निरस्त हो जाएगा।

3. मैं समझता हूँ कि लाइसेंस प्रदान होने या न होने दोनो स्थितियों में प्रक्रमण शुल्क अप्रतिदेय है।

4. मैं यथा अधिसूचित निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूँ जिसके न करने की स्थिति में हमारा आवेदन निरस्त हो जाएगा।

5. मैं समझता हूँ कि आवेदन से संबधित सभी मामले तथा मुझे प्रदान किया गया लाइसेंस यदि है तो यह दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार में होगा।

6. मैं समझता हूँ कि ऐसी कंपनियां जो स्वयं और/या उनके एक या उनके एक या एक से अधिक साझेदारों/प्रवर्तकों द्वारा प्रोन्नत कंपनियां द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसों के संबध में लाइसेंस शुल्क के भुगतान सहित संविदात्मक दायित्वों का निर्वाह करने में असफल रहती है तो उसे जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

7. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के खंड 4 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस की शर्तों के व्यतिक्रम में आवेदन प्रपत्र की मद सं0 7 में कोई भी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है।

8. मैं समझता हूँ कि किसी भी समय यदि कोई प्रकथन होता है या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई गलत सूचना दी जाती है तो, हमारा आवेदन निरस्त करने योग्य होगा तथा इस आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया कोई लाइसेंस समाप्त करने योग्य होगा।

तिथि
स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
(कंपनी की सील)

मैसर्स ....की ओर से
श्री ....द्वारा
दिनांक .... के जीपीए धारक
संकल्प सं0 .... के अनुसार निष्पादित

निदेशकों के मंडल द्वारा दिनांक.....................
को पारित किया गया ।

जीएमपीसीएस सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए अनुदेश/दिशानिर्देश तथा सामान्य सूचना

(यह पृष्ठ केवल आवेदकों की सूचना और दिशानिर्देशों हेतु है)

1. आवेदन प्रपत्र के साथ वेतन और लेखा कार्यालय (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में नई दिल्ली में देय तथा किसी भी अनुसूचित बैंक में आहरित पाँच लाख रु0 का प्रक्रमण शुल्क (अप्रतिदेय) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए। कृपया नोट करें कि प्रक्रमण शुल्क के बिना आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. आवेदन की दस प्रतियां (एक मूल और नौ प्रतियां) प्रस्तुत की जानी चाहिए, "मूल" और"प्रतिं भिन्न रूप से इंगित की जाए। अनुबंधों सहित मूल आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन पंजीकृत डाक/कुरियर सेवा द्वारा या स्वयं "निदेशक (वीएएस-II), दूरसंचार विभाग, कमरा नं0 339, तीसरा तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001" को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. अनुबंधों के रूप में अपेक्षित दस्तावेज मूल के साथ-साथ सभी प्रतियों के साथ संलग्न होने चाहिए।

4. सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए लाइसेंस प्रदान करने की अस्वीकृति दे सकती है।

5. यदि प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार्य होता है तथा सुरक्षा की दृष्टि से क्लियर होता है तो सभी पात्र आवेदकों को गैर-अनन्य आधार पर आशय-पत्र भेजे जाएंगे। आशय पत्र की वैधता 12 महीने के लिए होगी तथा आशय पत्र की समाप्ति तिथि से पूर्व किसी भी समय लाइसेंस हस्ताक्षरित किया जाएगा। आशय पत्र जारी होने के पश्चात, लाइसेंस हस्ताक्षरित करने से पूर्व आवेदक कंपनी को निम्नलिखित कदम उठाना अपेक्षित होगा :-

(i) कंपनी विदेशी इक्विटी भागीदारी के संबंध में एसआईए क्लियरेंस प्राप्त करती है, यह भागीदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) कंपनी को अपने सभी प्रवर्तकों/साझेदारों को इक्विटी शेयर जारी करने चाहियें तथा लाइसेंस को हस्ताक्षर करे से पूर्व अच्छी वित्तीय स्थिति प्राप्त करनी चाहिए अर्थात कंपनी का निवल मूल्य निम्नतम 100 करोड़ रु0 होना चाहिए।

(iii) कंपनी को सेवा के प्रचालन के लिए विभिन्न अपेक्षित फ्रिक्वेंसियों हेतु डब्लूपीसी से अनंतिम लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

(iv) कंपनी एक करोड़ रु0 की वित्तीय बैंक गारंटी जिसकी वैधता कम से कम दो वर्षों के लिए हो प्रस्तुत करनी चाहिए।

(v) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 सहित) के खंड-iv के अंतर्गत कंपनी या उसके किसी प्रवर्तकं/साझेदार/संघटक को प्रदान किए गए सभी

लाइसेंसों के संबध में कंपनी को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य भी प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं :-

(क) अदेयता प्रमाण-पत्र;

(ख) बिना किसी आरक्षण या परिवर्तन के लंबित रॉल आउट दायित्वों की पूर्ति के अनुपालन की गारंटी हेतु क्षतिपूर्ति बांड (निर्धारित प्रारूप में) के रूप में एक शर्त रहित और सुस्पष्ट शपथपत्र, अन्यथा निहित लागत की लाइसेंसदाता को क्षतिपूर्ति;

(ग) अपूर्ण रॉल आउट दायित्वों वाले विभिन्न लाइसेंस करारों मे अनुबद्ध विभिन्न निष्पादन बैंक गारंटियों के जोड़ की राशि के समकक्ष दो वर्ष के लिए वैध (निर्धारित प्रारूप में), की एक अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटी। तथापि, प्रत्येक मौजूदा बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस, यदि कोई हो, के संबंध में, इस उद्देश्यार्थ पचास करोड़ रु0 की राशि जोड़ी जाएगी।

बशर्ते कि विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसों की संख्या पर ध्यान न देते हुए लाइसेंस प्रदान करने के केवल पहले अवसर पर अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटी जमा की जाएगी।

(उपर्युक्त क्षतिपूर्ति बांड और अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटी के पहले ही जमा करने की स्थिति में, इसका प्रमाण प्रदान किया जा सकता है)

7. कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व तथा भारत में सेवा के लिए सुरक्षा क्लियरेंस से पहले जहां संबधित कंपनी पंजीकृत है और/या अपना कारोबार चलाती है उस देश की सरकार/प्राधिकारी द्वारा जारी संविदाओं/लाइसेंसों में निहित सहित, अपनी मूल/संबद्ध कंपनी और/या अंतरिक्ष क्षेत्र/उपग्रह प्रणाली स्वामी/प्रचालक के साथ संविदाओं/लाइसेंसों की पूर्ण निबंधन और शर्तों को उद्धघाटित करना होगा।

8. सेवा के लिए लाइसेंस हेतु देय लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित होना चाहिए :-

(i) लाइसेंस करार को हस्ताक्षर करने से पूर्व एक करोड़ रु0 का एक बारगी प्रवेश शुल्क।

(ii) लाइसेंस करार में निर्धारित प्रक्रियानुसार "समायोजित सकल राजस्व " (एजीआर) का 10 प्रतिशत राजस्व शेयर।